जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगर–मालवा

जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर आगर–मालवा (म.प्र.) फो.नं. 73622–60853
Email:-secdlsaagm@mp.gov.in

क्रमांक / 398 / पीएलव्ही. / जिविसेप्रा / 2025, आगर–मालवा, दिनांक 24.07.2025

संशोधित विज्ञप्ति

वर्ष 2025–26 हेतु पैरालीगल वालेंटियर्स हेतु आवेदन आमंत्रित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगर–मालवा द्वारा ग्रामों एवं जनपद पंचायतों, जेल / उपजेल, किशोर न्यायबोर्ड, फ्रंट आफिस, कलेक्टर कार्यालय में स्थापित किये जाने वाले लीगल एड क्लीनिक में समाज के कमजोर, पिछडे तथा पीडित व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान करने में एवं पुलिस थानों में गुमशुदा बच्चों एवं अन्य गिरफ्तार व्यक्तियों के संबध में मदद करने हेतु पैरालीगल वालेंटियर की आवश्यकता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगर–मालवा एवं तहसील विधिक सेवा समिति नलखेडा तथा सुसनेर हेतु पैरालीगल वालेंटियर्स के रूप में कार्य करने हेतु एक वर्ष के लिए चयन हेतु आवेदनपत्र आमंत्रित हैः–

विशेष नोट :–

01. पैरालीगल वालेंटियर्स का कार्य पूर्णतः सेवा कार्य है, यह **नौकरी नहीं** है। इसके लिए कोई **वेतन / भत्ते, अथवा मजदूरी देय नहीं** है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार समय–समय पर पैरालीगल वालेंटियर्स को कार्य सौंपे जाने पर कार्य करने के उपरांत निर्धारित **मानदेय मात्र** देय होगा।

02. **आयु सीमा**– किसी भी आयु का व्यक्ति आवेदन कर सकता है, बशर्ते वह स्वस्थ्य हो और उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई शारीरिक दोष न हों, जो उसे कार्य करने लिए अक्षम बनाता है।

03. योग्यता –

01. न्यूनतम योग्यता कक्षा 10 वी उत्तीर्ण हो शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र स्वप्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

02. आवेदक के विरूद्व कोई आपराधिक प्रकरण लंबित ना हो और न ही आपराधिक प्रकरण में दोषी पाया गया / पायी गई हो। किसी राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हो एवं उसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो।

03. अधिवक्ता के रूप में नामांकित न हो।

04. **पदसंख्या**– नालसा पैरालीगल वालेन्टियर स्कीम के अनुसार जिला स्तर पर अधिकतम 50 एवं तहसील स्तर पर अधिकतम 25 पद है चयन समिति स्वविवेकानुसार जिले एवं तहसील की परिस्थिति अनुसार एवं राज्य प्राधिकरण के निर्देशानुसार पैरालीगल वालेन्टियर का अधिकतम संख्या में से जितने उचित समझे पैरालीगल वालेंटियर का चयन कर सकेगी अथवा चयन उपरांत हटा सकेगी।

निरंतर.....02

05. निम्न समूह के व्यक्तियों को चयन में प्राथमिकता दी जावेगीः–

01. शासकीय व अशासकीय विद्यालय व महाविद्यालय के शिक्षक एवं व्याख्याता या अध्यापकगण (जिसमें रिटायर्ड शिक्षक भी शामिल है)।
02. आंगनवाडी कार्यकर्ता।
03. शासकीय/अशासकीय (प्रायवेट) चिकित्सक एवं अन्य कार्यरत् या रिटायर्ड शासकीय कर्मचारीगण।
04. राज्य एवं केंद्रीय शासन के विभिन्न विभागों और एजेंसियों के क्षेत्रीय/फील्ड अधिकारीगण।
05. स्टूडेंट और लॉ स्टूडेंट **(जब तक वह अधिवक्ता के रूप में नामांकित न हो)**।
06. अशासकीय संस्थाओं/क्लब के सदस्यगण।
07. महिला समूहों, मैत्रीसंघों, स्व–सहायता समूहों के सदस्यगण।
08. जेल में निरूद्ध अच्छे व्यवहार और लम्बी सजा प्राप्त दण्डित बंदी (शिक्षित एवं केवल जेल प्रशासन की अनुशंसा पर)।
09. सामाजिक कार्यकर्ता एवं वालेंटियर्स, पंचायत राज और नगर पालिका/निगम संस्थाओं के स्वैच्छिक कार्यकर्तागण।
10. सहकारी समितियों के सदस्यगण।
11. ट्रेड यूनियन के सदस्यगण।
12. ऐसे अन्य व्यक्ति जो समाज सेवा का कार्य करने के इच्छुक हो एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स के रूप में पहचाने/चयनित किये जायें।

इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापन क्रंमाक 158 दिनांक 13/05/2025 के माध्यम से पूर्व में पैरालीगल वालेन्टियर हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 31/05/2025 सायं 05:00 बजे तक** निर्धारित की गई थी किन्तु पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र जिला एवं तहसील स्तर पर प्राप्त नहीं होने से माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित की जाकर **अंतिम तिथि दिनांक 05/08/2025 को सांय 05:00 बजे तक** विस्तारित की गई है।

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर उसके साथ आवश्यक दस्तावेज एवं 02 पासपोर्ट साइज के फोटो संलग्न कर **नवीन अंतिम तिथि दिनांक 05/08/2025 सायं 05:00 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगर–मालवा** में अथवा तहसील विधिक सेवा समिति सुसनेर एवं नलखेड़ा के माध्यम से जमा किया जा सकेगा, इसके साथ ही सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय आगर–मालवा (म0प्र0) पिन कोड–465441 के पते पर आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से या डाक से प्रेषित किया जा सकता है। **अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।** तहसील विधिक सेवा समिति सुसनेर एवं नलखेड़ा में कार्य करने के इच्छुक आवेदकों को स्पष्ट रूप से आवेदन में कार्य क्षेत्र उल्लेखित करना होगा।

नोटः– जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुक्रम में एवं समयावधि के भीतर आवेदन जमा किये गये है उन्हें पुनः आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

निरंतर.....03

चयन प्रकिया :–

जिला न्यायालय आगर–मालवा में चयन कमेटी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में से अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगर–मालवा में किया जावेगा। उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु पृथक से सूचना पत्र, दूरभाष, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सूचना पटल पर एवं समाचार पत्र के माध्यम से दी जायेगी। चयन कमेटी को किसी भी उम्मीदवार का आवेदन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा और कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।

उक्त विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा एवं तहसील विधिक सेवा समिति सुसनेर एवं नलखेड़ा जिला आगर मालवा से प्राप्त किया जा सकता है साथ ही उक्त विज्ञापन जिला न्यायालय आगर मालवा की बेबसाईट https://agar.dcourts.gov.in/ पर भी उपलब्ध है इसके अतिरिक्त उक्त विज्ञापन कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा/जिला न्यायालय परिसर/तहसील न्यायालय परिसर/अभिभाषक संघ/जिला पंचायत/जनपद पंचायत आदि कार्यालयों के सूचना पटल पर भी चस्पा कराया गया है।

संलग्नः– आवेदन–पत्र 02 पृष्ठ

(माननीय प्रघान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

24/07/25

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

आगर–मालवा (म0प्र0)

आवेदन–पत्र

"जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगर–मालवा म.प्र. वर्ष 2025–26 पैरालीगल वालेन्टियर चयन हेतु आवेदन–पत्र"

नवीनतम फोटो चस्पा करें।

प्रति,

श्रीमान सचिव महोदय,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
आगर–मालवा (म.प्र.)

माननीय महोदय सादर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर–मालवा द्वारा संचालित नालसा पैरालीगल व

ालेन्टियर्स योजना से जुड़कर पैरालीगल वालेन्टियर बनना चाहता है/चाहती हूँ तथा मैं, विधिक सेवा के क्षेत्र में स्वैच्छया अपना समय योगदान एंव सेवा कार्य करने के लिये सहमत हूँ। मेरी व्यक्तिगत जानकारी इस प्रकार से है–

1. पूरा नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. उम्र, जाति एंव धर्म :
4. व्यवसाय (वर्तमान) :
5. प्राप्त शिक्षा एंव अन्य योग्यता :
6. वर्तमान कक्षा व महाविद्यालय :
7. सामाजिक कार्यानुभव :
8. विशिष्ट उपलब्धि एंव कार्य :
9. स्थायी निवास का पूरा पता :.....

 जिला.....(म.प्र.) पिन –.....
10. पत्राचार का पूरा पता :.....

 जिला.....(म.प्र.) पिन –.....
11. दूरभाष नंबर/मोबाईल नंबर : मोबाईल नंबर.....

 एसटीडी कोड.....दुरभाष.....

 E-mailID:
12. कहा कार्य करने के इच्छुक है ? जिला मुख्यालय आगर मालवा/तहसील

 नलखेडा/तहसील सुसनेर(स्पष्ट वर्णित करें)

यह कि मैं जानता/जानती हूँ कि पैरालीगल वालेन्टियर का कार्य पूर्णतः सेवा कार्य है नौकरी नही है। मैं स्व–घोषणा करता/करती हूँ कि किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा मेरी विरूद्ध न तो कोई दोषसिद्धि हुई है और ना ही वर्तमान में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है। उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एंव विश्वास करने योग्य है।

सलंग्न दस्तावेज :–

01. शैक्षणिक योग्यता संबधी स्वप्रमाणित छायाप्रतियां ।
02. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।
03. सामाजिक, कार्यानुभव का प्रमाण–पत्र ।
04. विशिष्ट उपलब्धि या समाज सेवाकार्य से संबंधित प्रमाण–पत्र ।
05. एक अतिरिक्त पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
06. अन्य प्रमाण–पत्र(म.प्र.)।

स्थान :–

दिनांक :–

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

सहमति/घोषणा पत्र

मैंपिता/पति.....

पताराष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्य योजना वर्ष 2025–26 के अंतर्गत पैरालीगल वालेंटियर्स के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति के दिशा–निर्देश पर कार्य करने हेतु सहमति देता/देती हूं।

यह भी घोषणा करता/करती हूं **कि मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है और न ही आपराधिक प्रकरण में दोषी पाया गया/पायी गई हूं। किसी राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हूं/मुझे दिवालिया घोषित नहीं किया** गया है।

मैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में भाग लूंगा/लूंगी एवं पैरालीगल वालेंटियर्स के रूप में अपने दायित्वों का दुरूपयोग नहीं करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर

सहमतिकर्ता/घोषणाकर्ता